ENVIRONMENTAL CLEARANCE			Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Issued by the State Environment Impact Assessment Authority(SEIAA), Madhya Pradesh) To, The Properitor ANAND TAMRAKAR G7, 8 DEENDAYAL PARISAR E-2 ARERA COLONY BHOPAL -462016					
PARIVESH	(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive,	and Virtuous Environmental Single-Window Hub)	Sir/Ma in re: SIA/M cleara 1. E 2. F 3. F 4. C 5. F 6. N 7. N 8. L 9. T The pr no 2 of	ect: Grant of Environm under the provision adam, This is in referent spect of project s IP/MIN/290168/2022 d ince granted to the pro- EC Identification No. File No. Project Type Category Project/Activity incluce Schedule No. Name of Project Name of Project Name of Company/Or Location of Project TOR Date	ann of EIA Notif nce to your ap submitted to dated 06 Sep oject are as b	nce (EC) to the proposed Project Activity fication 2006-regarding oplication for Environmental Clearance (EC) o the SEIAA vide proposal number 2022. The particulars of the environmenta below. EC22B001MP184229 9304/2022 New B2 1(a) Mining of minerals Barbandh Khodu Bharu Sand Quarry ANAND TAMRAKAR		
	PARVESH PARVESH	1881 289/	numb numb		ated from F respondenc			

संदर्भः प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/290168/2022 - प्रकरण क्र. 9304/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पुष्पा इन्टरप्राइजेज, प्रोपराइटर, श्री आनंद ताम्रकार निवासी, मकान न. बी–23 कस्तूरबा नगर गोविन्दपुरा भोपाल (म.प्र.) द्वारा खोदू–भरू रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा, 253/1/2/1 ग्राम बारबन्द, तहसील गौरिहार, जिला छत्तरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरांत के संशोधनों तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा समय—समय पर जारी ज्ञापनों के परिपालन में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया अनुरूप परियोजना प्रस्तावक द्वारा आनॅलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव (क. SIA/MP/MIN/290168/2022 एवं MP SEIAA में पंजीयन दिनांक 12.09.2022) एवं संबंधित अनिवार्य दस्तावेजों के आधार पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया।

- II कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्र. 1698 दिनांक 30.08.2022 के अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / इको सेंसोटिव जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र की दूरी 250मी. की परिधि से बाहर स्थित है। आपके द्वारा प्राप्त अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अक्षांश 25°10'49.45" से 25°10'51.73" और देशांतर 80°25'19.73" से 80°25'26.37" भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित है।
- III. परियोजना पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त पैरा (II) के अनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई अभिप्रमाणित जानकारी तथा दस्तावेजों के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) की 750 वीं बैठक दिनांक 13.10.2022 में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 595वी बैठक दिनांक 22.09.2022 में प्रकरण पर की गई अनुंशसा के आधार पर विशिष्ट, साधारण / मानक शर्ते अधिरोपित करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पुष्पा इन्टरप्राइजेज, प्रोपराइटर, श्री आनंद ताम्रकार निवासी, मकान न. बी—23 कस्तूरबा नगर गोविन्दपुरा भोपाल (म.प्र.) के नाम खोदू—भक्त रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा, 253/1/2/1 ग्राम बारबन्द, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो और तदुपरांत मानक शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकति प्रदान की जाती है।

(अ) विशिष्ट शर्तेः

- जिला कलेक्टर (खनिज शाखा) छतरपुर का आदेश क. 1510 दिनांक 30.06.2022 के अनुसार अस्थाई अनुज्ञा प्राप्त है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 29.06.2023 तक मान्य रहेगी।
- 2. लीज में विद्यमान 01 पेड़ को नहीं काटा जाये एवं उसका रखरखाव किया जाये।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार 03 मीटर से अधिक गहराई तक खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी तल पर खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

- 5. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 12000 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों / दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों / निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
- 7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
बैरियर जोन	सिस्सू, चिरोल, नीम, नागरमोथा, खस, जंगल जलेबी, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	650
परिवहन मार्ग (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	200
ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	350
113	्र योग	1200

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिष्टिवत किया जायेगा :-
 - ग्राम हाजीपुर के शासकीय प्राथमिक शाला लाइब्रेरी के लिये 01 कम्पयूटर, प्रिन्टर, टेबल एवं 01 आलमारी प्रदान किया जाये।
 - ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतू समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
 - ग्राम के शासकीय स्कूल / आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

- 10. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
- 12. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
- 13. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
- 14. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 15. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08. 2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- 16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
- 17. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
- 18 परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की रथापना की जायेगी।
- 19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
- परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
- 21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतू पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
- 22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
- 23. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
- 24. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम

पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

- 25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिये बजटीय प्रावधान रू. 12.31 लाख एवं पूंजी रू. 02.92 लाख प्रतिवर्ष प्रस्तावित है।
- 26. खनन केवल कृषि भूमि को पुनः प्राप्त करने की सीमा तक ही किया जायेगा।
- 27. रेत का उत्खनन केवल जमा बालू को हटाने तक ही किया जायेगा जमीन स्तर के नीचे उत्खनन नहीं किया जायेगा।
- 28 खनन कार्य अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार ही किया जायेगा।
- 29 उत्खनन क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन स्थल पर अक्षांस एवं देशान्श अनुसार पिलर लगाकर किया जाये एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक सूचना व सावधानी संकेत सूचना पटल पर अंकित किये जाये।
- 30. धूल के कणों का दमन करने के लिए सोलर पंपों/पानी के टैंकरों के साथ ओवरहेड सिप्रंकलर की व्यवस्था पट्टा क्षेत्र से बाहर निकलें तथा निकासी सड़क पर निश्चित प्रकार के सिप्रंकलर की व्यवस्था की जाये। पीपी द्वारा लॉग बुक राखी जाये जिसमें दैनिक पानी के छिड़काव और वाहनों की आवाजाही का विवरण दर्ज किया जाये।
- 31. खनन कार्य केवल अनुमोदित खनन योजना एवं प्रस्तुत भूमि उपयोग योजना के अनुसार ही किया जायेगा।
- 32. सामग्री का परिवहन में fugitive उत्सर्जन से बचने के लिए केवल आवश्यक नमी वाले ढके हुए एवं पीयूसी प्रमाणित वाहनों का उपयोग किया जाये। खनिजों का परिवहन वन क्षेत्र से बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जायेगा
- 33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निकासी सड़क को पक्का (डब्ल्यूबीएम/ब्लैक टॉप) बनाया जाएगा।
- 34. प्रमुख पुलों और राजमार्गों के दोनों तरफ से 1 किलोमीटर (1 किमी) की दूरी तक रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी। और अपस्ट्रीम से इस तरह के पुल/सार्वजनिक संरचना (जल ग्रहण क्षेत्र सहित) से पांच गुना दूरी तक एवं डाउन-स्ट्रीम से ऐसे पुल से दस गुना दूरी तक, कम से कम 250 मीटर अपस्ट्रीम साइड से और 500 मीटर डाउनस्ट्रीम साइड से रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी।
- 35. मानसून के मौसम में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
- 36. खनन कार्य पूरी तरह से अनुमोदित खनन योजना एवं सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 के अनुसार किया जाएगा तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा की खनन योजना में निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए खनन पट्टा क्षेत्र में रेत की वार्षिक पुनःपूर्ति खनन पट्टा क्षेत्र में रेत खनन कार्यों हेतु पर्याप्त है।
- 37. एम.पी.पी.सी.बी से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाएगी और एम.पी.पी.सी.बी. की सिफारिश के अनुसार वाय्/जल प्रदूषण नियंत्रण उपायों को स्थापित करना होगा।
- 38 परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज से सटी नदी किनारे, परिवहन मार्ग और गॉवं के सामान्य क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जायेगा, कैजुअल्टी रिप्लेसमेन्ट सहित पॉच साल तक संयंत्रो का रखरखाव किया जाये। परियोजना प्रस्तावक एक लॉक बुक रखेगा जिसमें वृक्षारोपण और प्रतिस्थापन का वार्षिक विवरण दर्ज करेगा एवं यह भी सुनिश्चित करेगा कि खनन के दौरान वनस्पतियों और जीवों को कोई नुकसान न हो।
- 39. क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिए समुचित कार्य किये जायेंगे। इसके लिए आरक्षित निधि का उपयोग ग्राम पंचायत व सक्षम प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा।

- 40. श्रमिकों के छह मासिक व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किए जाएंगे और सभी श्रमिकों को आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे। सभी खान श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए विश्राम गृह, प्राथमिक चिकित्सा, उचित अग्निशमन उपकरण और शौचालय (पुरुष और महिला के लिए अलग) जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। खदान के स्थल कार्यालय, विश्राम गृहों आदि को सोलर लाइट से रोशन और हवादार किया जाएगा। इन सभी सुविधाओं जैसे विश्राम गृह, साइट कार्यालय आदि को लीज अवधि की समाप्ति के बाद साइट से हटा दिया जाएगा।
- 41. वित्तीय जवाबदेही के लिये परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएमपी और सीईआर गतिविधियों में किये गये सभी व्यय के लिये एक अलग बैंक खाता रखा जाना जाये एवं इसका विवरण वार्षिक पर्यावरण विवरण में दिया जाये। यदि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये मेटीगेटिव उपायों के लिये आवंटित ई.एम.पी बजट का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका विवरण वार्षिक प्रतिवेदन में किया जाये।
- 42. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEIAA/SEAC में जमा किये गये दस्तावेजों में विसंगति के लिये स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 43 खनन पट्टा क्षेत्र में गड्ढें एवं भूमि के पुनरूद्धार की राशि का उपयोग खनन विभाग के माध्यम से किया जाये। खनन कार्य समाप्ति के उपरांत खदान के पुनरूद्धार के लिये खनन विभाग द्वारा अनुमानित उचित राशि को कलेक्टर के शासकीय कोष में जमा कराया जाये।
- 44. पट्टा क्षेत्र में किसी भी पेड़ को काटने/उखाड़ने से पहले वन विभाग एवं पानी की आवश्यकता/उपयोग हेतु ग्राम पंचायत की अनापत्ति (एन.ओ.सी.) प्राप्त की जाये।
- 45. ऐसे पट्टे जो वन क्षेत्र के 250मी. की परिधि के अंदर आ रहे है एवं परियोजना प्रस्तावक ने संभाग स्तरीय आयुक्त समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तो समिति द्वारा निर्धारित सभी शर्तो पालन सुनिश्चित किया जाये।
- 46. परियोजना में विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ प्रोद्यौगिकी में परिवर्तन और प्रस्तावित खनन ईकाई में उत्पाद मिश्रण एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिये नवीन पर्यावरण स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
- 47 अस्थायी अनुज्ञा (TP) के प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता केवल टीपी की वैधता तक रहेगी एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान समापन योजना का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- 48. खनन पट्टाधारक खनन कार्य को बंद करने के बाद, चरागाह के विकास एवं रख रखाव हेतु एम. ओ.ई.एफ.एड.सी.सी के पत्र एफ. सं. 22&34/2018–आई.ए, III दिनांक 16/01/2020 अनुसार ई. एम.पी और सी.ई.आर अंतर्गत एक अलग बजट सुरक्षित करें।
- 49. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या Z&11013/57/2014&IA II (एम) दिनांक 29 अक्टूबर 2014 शीर्षक "आवासों पर खनन गतिविधियों का प्रभाव, खनन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे जिसमें बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्रों का हिस्सा हैं या बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्र से घिरे हुए हैं" में दिए गए मेटिगीटिव उपायों का पालन करेगा।
- 50. पत्राचार के पते में कोई भी परिवर्तन, के लिये 30 दिनों के अंदर सभी नियामक प्राधिकरण को सचित करेगा।
- 51. खदान में प्रवेश के समय परियोजना के संबंध में एक डिस्प्ले बोर्ड निम्नलिखित विवरण के साथ लगाना अनिवार्य होगा :
 - खदान के मालिक का नाम ,संपर्क विवरण आदि।
 - परियोजना का खनन पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर में)
 - परियोजना की उत्पादन क्षमता ।

- 52. नदी के किनारों पर स्थिरीकरण के लिए खस स्लिप्स और नगर मोथा जैसी प्रजातियों को लगाया जाये एवं किसी भी उपयुक्त सरकार के माध्यम से गांव में खनिज निकासी सड़क और आम क्षेत्र पर मिट्टी के कटाव की जांच के लिए संबंधित डी.एफ.ओ. / ग्राम पंचायत / कृषि विभाग या किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी से कार्य अनुमति के उपरांत ईएमपी में किए गए बजटीय आवंटन के अनुसार पर्याप्त विशेषज्ञता वाली एजेंसी (जैसे वन विकास निगम / वन समिति, वन रेंज अधिकारी की निगरानी और मार्गदर्शन में उक्त कार्य करवाया जाये।
- 53. परियोजना प्रस्तावक द्वारा संबंधित सीसीएफ (सामाजिक वानिकी) या संबंधित डीएफओ या जिला प्रशासन के माध्यम से गाँव में खनिज निकासी हेतु सड़क मार्ग के दोनो किनारों पर सार्वजानिक (शासकीय भूमि) क्षेत्र पर घने वृक्षारोपण / 7.5 मीटर (बैरियर जोन) परिधि में किया जायेगा। पर्यावरण प्रबंधन योजना में किए गए बजटीय आवंटन के अनुसार संबंधित डीएफओ / ग्राम पंचायत / कृषि विभाग या पर्याप्त विशेषज्ञता रखने वाली किसी अन्य उपयुक्त एजेन्सी से उपरोक्त कार्य की अनुमति के साथ वन विकास निगम / वन समिति जैसे वन रेंज अधिकारी की निगरानी और मार्गदर्शन में करवाया जाये।
- 54. प्रस्तावित सम्पूर्ण वृक्षारोपण खनन पट्टा क्षेत्र के बैरियर जोन में प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार प्रथम वर्ष में किया जायेगा।
- 55. पट्टा क्षेत्र मे वृक्षारोपण के लिए सतही मिट्टी का उपयोग किया जाए एवं पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई ओ. बी. डपं. (Over burden) न किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को खनन कार्यों के शुरुआती तीन वर्षों में वृक्षारोपण गतिविधि पूर्ण करे एवं हताहत / मृत पोधों के प्रतिस्थापन सहित पूरे खनन जीवन के लिए उन्हें बनाए रखा जायें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण और करणीय प्रतिस्थापन के वार्षिक विवरण हेतु एक लॉग बुक रखी जाये एवं खनन कार्य के दौरान किसी भी वनस्पतियों , जीवों इत्त्यादि को कोई हानि न हो इस हेतु पर्याप्त सावधानी बरती जाये। पी.पी. द्वारा वन भूमि में संभावित अतिरिक्त वृक्षारोपण डी.एफ.ओ के माध्यम से किया जाये एवं निर्धारित बजट डी.एफ.ओ को हस्तांतरित किया जाये।
- 56. संबधिात ग्राम क्षेत्र की सामुदायिक भूमि अथवा बंजर वन भूमि पर ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय मिश्रत प्रजातिया जैसे वार्षिक, बारहमासी घास/चारा, वृक्ष की प्रजातियाँ रोपित की जाये जिससे चरागाह विकसित हो सके एवं खनन कार्य के उपरांत इस विकसित चरागाह को ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाए।
- 57. पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले, आस–पास के ग्रामीणों को चारा/देशी फल देने वाली प्रजातियों के पौधे सामाजिक वानिकी नर्सरी/सरकारी बागवानी नर्सरी से प्राप्त कर वितरित किए जाएें। यह गतिविधि म.प्र. सरकार की "अंकुर योजना" के अंतर्गत "वायुदूत ऐप" पर व्यक्तिगत ग्रामीणों को पंजीकृत कर की जाये। पी.पी द्वारा जिन स्थानों पर औषधि वाटिका (मडिकल गार्डेन) परतावित है उन स्थानों (स्कूल/आंगनवाड़ी प्रांगण) पर न्यूनतम 50 पौधे रोपित किये जाये एवं इस प्रकार विकसित किया जाये कि उनका सरवाइवल 80 प्रतिशत तक हो।
- 58. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण के लिये पानी की उचित व्यवस्था की जाये।
- 59. बी–1 श्रेणी की परियोजनाओं में प्रस्तावित सी.ई.आर गतिविधियाँ जन सुनवाई के निष्कर्ष पर आधारित होने चाहिए। एवं बी–2 श्रेणी की परियोजनाओं में स्थानीय आवश्यकता मूल्यांकन और ग्राम पंचायत वार्षिक कार्य योजना के आधार पर सी.ई.आर गतिविधि प्रस्तावित किया जाऐ।
- 60. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
 - नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
 - नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है

- नोट 3 :-- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुडाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई / गोलाई -

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

ф	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों और निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

(ब) मानक शर्ते

- 1. परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल विवरण के साथ वैध डाक का पता।
- 2. नदी तल पर किसी भी भारी वाहन का जाना प्रतिबंधित रहेगा।
- 3. खनन क्षेत्र से रेत का परिवहन लदान स्थल तक केवल ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से ही किया जायेगा।
- 4. नदी कर्व पर किनारों को उचित बांधों द्वारा स्थिर किया जाये एवं उचित वृक्षारोपण किया जाये इसकी निगरानी कलेक्टर, के द्वारा किया जाये ताकि रेत खनन से उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को प्रभवित न हो सके।
- खनन कार्य स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जाये, खनन योजना का उल्लंघन किये जाने पर एस.ई.आई.ए.ए द्वारा दी गई पर्यावरण स्वीकृत रद्द कर दी जाएगी।
- यह सुनिश्चित किया जाये कि खनन कार्य सें नदी के पानी का गंदलापन (टरबिडिटी) ,वेग और प्रवाह पैटर्न को किसी भी तरह बाधित न किया जाये।
- 7. विचाराधीन सभी प्रस्तावों के लिए खनन कार्य से पूर्व खनन/राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल पर सटीक खनन क्षेत्र का संयुक्त रूप से सीमांकन किया जायें।
- सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की पार्किंग नहीं होनी चाहिए।
- 9. आसपास की बस्तियों को खनन गतिविधियों के प्रभाव से बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये। तथा गाँव की जिन सड़को से गौण खनिजों का परिवहन किया जाना है, का नियमित रूप से रख रखाव/अनुरक्षण किया जाये।
- 10. मृदा अपरदन की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा गाद के प्रबंधन के उपाय किये जायें।
- 11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के गड्ढे, कचरे के ढेर के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किया जाये।
- 12. वृक्षारोपण कार्यक्रम ई.एम.पी के अनुसार किया जाये एवं वनस्पतियों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जानी चाहिए एवं पट्टा क्षेत्र में किसी भी पेड़ की कटाई बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न किया जाये।
- 13. खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त बाड़ों से ढक दिया जाये ताकि परिवहन के दौरान धूल के कण / बारीक पदार्थ बाहर न निकल सकें।

- 14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान श्रमिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जायें ।
- 15. धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण उपलब्ध कराए जाये और उनकें सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये।
- 16. कार्य स्थल पर प्राथमिक उपचार के लिए औषधालय की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।
- 17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण मंजूरी की एक प्रति सरकार के संबंधित अधिकारियों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों, पंचायत और नगर निकायों के प्रमुखों, (जैसा लागू हो) को भी प्रस्तुत की जाये।
- 18. मंत्रालय अथवा कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्यावरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई और शर्त निर्धारित कर सकता है।
- 19 तथ्यात्मक डेटा को छुपाने अथवा झूठे / गढ़े हुए डेटा प्रस्तुत करने एवं ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त का पालन न करने पर पर्यावरण मंजूरी को वापस लिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाही कि जा सकती है।
- 20. पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपील, करना हो, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत, निर्धारित 30 दिनों की अवधि के अंदर राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की जा सकती है।

(श्रीमन् शुक्ला) सदस्य सचिव

(आलोक नायक) प्रभारी अधिकारी

प्रतिलिपिः–

- 1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
- 3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण निंयत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल 462016।
- 4. कलेक्टर, जिला छतरपुर (म.प्र.)
- 5. वन मंडलाधिकारी, जिला छतरपुर (म.प्र.)
- आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003।
- निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
- 8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल 462002।
- 9. खनिज अधिकारी, जिला छतरपुर (म.प्र.)
- 10. संबंधित फाईल।

EC Identification No. - EC22B001MP184229 File No. - 9304/2022 Date of Issue EC - 20/10/2022 Page 9 of 9